HAPUR POLICE

OPERATION CONVICTION

हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए घर में घुसकर लाठी-डंड़ों से मारपीट करने के मामले में 03 आरोपियों को 03-03 वर्ष का कठोर कारावास व 40,500/-रुपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए आज दिनांक 31.03.2026 को मा0 न्यायालय द्वारा घर में घुसकर लाठी-डंड़ों से मारपीट करने के मामले में 03 आरोपियों को दण्डित कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

- दिनांक 05.04.2022 को अभियुक्तगण 1. हरिराम पुत्र शेर सिंह, 2. दिनेश पुत्र हरिराम व 3. रविन्द्र पुत्र हरिराम निवासीगण ग्राम बलवापुर थाना गढ़मुक्तेश्वर जनपद हापुड़ द्वारा घर में घुसकर लाठी-डंड़ों से मारपीट करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गई थी जिसके सम्बन्ध में थाना गढ़मुक्तेश्वर पर मु0अ0सं0 152/2022 धारा 323, 324, 452, 504, 506, 307 भादवि पंजीकृत किया गया था तथा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
- आज दिनांक 31.03.2026 को अभियुक्तगण उपरोक्त को मा0 न्यायालय एडीजे प्रथम हापुड़ द्वारा 03-03 वर्ष का कठोर कारावास व 40,500/-रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
- अभियोजन विभाग से श्रीमती नरेश चन्द शर्मा (शासकीय अधिवक्ता) व विवेचक उ0नि0 श्री अमित सिंह, पैरोकार म0का0 रीटा रानी व कोर्ट मोहर्रिर म0है0का0 अंजू का विशेष योगदान रहा।